


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 678]

No. 678]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 3, 2015/ कार्तिक 12, 1937

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 3, 2015/KARTIKA 12, 1937

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2015

सा.का.नि. 830(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सीमा सुरक्षा बल, साधारण ड्यूटी काडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002 और सीमा सुरक्षा बल साधारण ड्यूटी काडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2012 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, साधारण ड्यूटी काडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2015 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषा :— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,
(क) "महानिदेशक" से महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल अभिप्रेत हैं।
(ख) 'सक्षम प्राधिकारी' से नियुक्ति प्राधिकारी या सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 (1968 का 47) और सीमा सुरक्षा बल नियम, 1969 में निर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत हैं।
(2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, लेकिन सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) या सीमा सुरक्षा बल नियम, 1969 में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम या नियमों में दिए गए हैं।
3. लागू होना — ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
4. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान :— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

6. **प्रोन्नति-पूर्व पाठ्यक्रम:-** पोषक श्रेणी के व्यक्तियों को, उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए सेवा पात्रता की अवधि पूरी करने से पहले उनकी ज्येष्ठता के क्रम में अर्हक पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए भेजा जाएगा। बल के ऐसे प्रत्येक सदस्य के लिए, किसी प्रोन्नति से पूर्व, इससे उपाबद्ध अनुसूचियों में निर्दिष्ट प्रोन्नति-पूर्व पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा:

परन्तु यदि महानिदेशक का यह समाधान हो जाता है कि सेवा की अत्यावश्यकताओं या अन्य कारणों से ऐसा कोई सदस्य प्रोन्नति-पूर्व पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने में समर्थ नहीं है तो वह बल के सदस्य को ऐसे सदस्य द्वारा प्रोन्नति की तारीख से दो वर्ष के भीतर पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के अध्यक्षीन प्रोन्नत कर सकता है जिसके न हो सकने पर उसे प्रत्यवर्तित किया जा सकेगा।

परन्तु यह भी कि सीमा सुरक्षा बल में सहायक उप निरीक्षक (साधारण ड्यूटी) के रैंक की शुरुआत के प्रारम्भ परिणाम स्वरूप महानिदेशक, सहायक उप निरीक्षक (साधारण ड्यूटी) द्वारा अपेक्षित अनिवार्य अर्हक सेवा के पूरी होने के अध्यक्षीन उसे उप निरीक्षक (साधारण ड्यूटी) के पद पर प्रोन्नत कर सकता है।

परन्तु यह भी कि इस प्रकार की छूट 14 मार्च 2018 को, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 149 (अ) तारीख 14 मार्च 2012 के प्रकाशन से छह वर्ष पूरे होने के पश्चात् समाप्त हो जाएगी, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है।

7. **ज्येष्ठता सूची का रखा जाना:-** (1) सहायक उप निरीक्षक और उप निरीक्षकों की ज्येष्ठता सूची उप महानिरीक्षक और संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों के प्रधान द्वारा रखी जाएगी।

(2) निरीक्षकों की ज्येष्ठता महानिरीक्षक और संबंधित प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रधान द्वारा रखी जाएगी :

(3) उप नियम (1) और उप नियम (2) के उपबंधों का ध्यान किए बिना, हैड कांस्टेबलों, सहायक उप निरीक्षकों, उप निरीक्षकों और निरीक्षकों की समेकित केन्द्रीय ज्येष्ठता सूची बल के मुख्यालय द्वारा रखी जाएगी।

8. **ज्येष्ठता:-** (1) ऐसे व्यक्ति, जो स्थानापन्न या अधिष्ठायी हैसियत में उच्चतर रैंक धारण किए हुए हैं, उन व्यक्तियों से ज्येष्ठ होंगे जो निम्नतर रैंकधारण किए हुए हैं।

(2) किसी रैंक में ज्येष्ठता, उस रैंक में निरन्तर नियमित नियुक्ति के आधार पर अवधारित की जाएगी।

परन्तु ऐसे कार्मिकों की ज्येष्ठता, जो एक ही रैंकधारण किए हुए हैं और जो एक ही दिन प्रोन्नत किए गए हों उस पद पर नियुक्ति के लिए चयन के क्रम के अनुसार अवधारित की जाएगी।

(3) उप नियम (2) के उपबंध के अधीन रहते हुए, सीधी भर्ती किए गए उप निरीक्षक और सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा से भर्ती किए गए उप निरीक्षकों की ज्येष्ठता कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा संचालित भर्ती परीक्षा और सीमा सुरक्षा बल संस्थानों द्वारा संचालित बुनियादी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्राप्त किए अंकों को जोड़कर गुणगुण के अनुसार अवधारित की जाएगी :

परन्तु ऐसे व्यक्ति, जिनका किसी पूर्ववर्ती बैच में चयन किया गया था, उन व्यक्तियों से ज्येष्ठ होंगे जिनका पश्चात्पूर्व बैचों में चयन किया जाता है।

परन्तु यह और कि आरक्षित कोटा पर सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा स्कीम के अन्तर्गत उप निरीक्षक के रूप में चयनित कांस्टेबलों या हैड कांस्टेबलों या सहायक उप निरीक्षकों की ज्येष्ठता उनके चयन की गुणगुण के अनुसार अवधारित की जाएगी और उन्हें उप निरीक्षक (सीधी भर्ती) से नीचे रखा जायेगा जिनके साथ वे प्रशिक्षण के लिए सम्मिलित होते हैं।

9. **विभिन्न रैंकों में प्रोन्नति के लिए अनुमोदित व्यक्तियों की सूची का रखा जाना:-** (1) प्रत्येक रैंक में प्रोन्नति के लिए अनुमोदित किए गए अभ्यर्थियों की नीचे दी गई सारणी में यथा- विनिर्दिष्ट रूप में पृथक सूची, इसमें इसके पश्चात् किए गए उपबंधों के अनुसार रखी जाएगी और प्रोन्नतियां ऐसी सूचियों में से की जाएंगी :-

(1)	(2)
सूची "ख"	हैड कांस्टेबलों के रूप में प्रोन्नति के लिए उपयुक्त कांस्टेबलों के नामों की सूची।
सूची "ग"	सहायक उप निरीक्षकों के रूप में प्रोन्नति के लिए उपयुक्त हैड कांस्टेबलों के नामों की सूची।
सूची "घ"	उप निरीक्षकों के रूप में प्रोन्नति के लिए उपयुक्त सहायक उप निरीक्षकों के नामों की सूची।
सूची "ड"	निरीक्षकों के रूप में प्रोन्नति के लिए उपयुक्त उप निरीक्षकों के नामों की सूची।

(2) सूची "ख", "ग" तथा सूची "घ" और सूची "ड" की प्रतियां प्रत्येक बटालियन और यूनिट में रखी जाएंगी।

- (3) सूची "ख" में कमाण्डेंट, सूची "ग" में उप महानिरीक्षक और सूची "घ" एवं सूची "ड" में महानिरीक्षक और प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख प्रविष्टियां करेंगे।
- (4) सूची "घ" में समाविष्ट किए जाने के लिए अनुमोदित सहायक उप निरीक्षकों और सूची "ड" में समाविष्ट किए जाने के लिए अनुमोदित उप निरीक्षकों की समेकित पदक्रम सूचियां बल मुख्यालय द्वारा रखी जाएंगी।
10. चिकित्सक दृष्टया योग्यता :- (1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल ऐसे व्यक्ति, जो चिकित्सा प्रवर्ग शेष-1, में हैं, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

(2) शेष-1 से निम्नलिखित चिकित्सा प्रवर्ग अभिप्रेत है:-

(i) चिकित्सा अधिकारी द्वारा अधिकारी का यथानिर्धारित मानकों के तहत किया गया और कूट अक्षरों SHAPE द्वारा इंगित चिकित्सा वर्गीकरण निम्नलिखित को दर्शाता है:-

S- मनोवैज्ञानिक (Psychological)

H -श्रवण क्षमता (Hearing)

A -एपेंडेजेज (Appendages)

P -शारीरिक क्षमता (Physical Capacity)

E -दृष्टि क्षमता (Eye-Sight)

(ii) अधिकारी की कार्य क्षमता को प्रत्येक कूट अक्षर के सामने 1 से 5 तक के अंकों से दर्शाया जायेगा जो क्रमशः घटती हुई कार्यक्षमता को दर्शाएंगे और अंकों को कूट अक्षर के सामने लिखा जाएगा, सिवाय उस स्थिति के जहां कोई अधिकारी सभी मानकों में ग्रेड-1 में है तो उसकी श्रेणी को S1H1A1P1E1 लिखने की बजाय SHAPE-1 लिखकर दर्शाया जा सकता है और इन अंकों का साधारण मूल्यांकन निम्नलिखित है :-

(1) कहीं भी हर प्रकार की ड्यूटी के लिए स्वस्थ।

(2) हर प्रकार की ड्यूटी के लिए स्वस्थ लेकिन कार्यों के प्रकार और कार्य क्षेत्रों के अनुसार सीमित जो इस बात पर निर्भर है कि इन कार्यों में अत्यधिक मानसिक दबाव या श्रवण अथवा दृष्टि क्षमता अथवा आंख और कान दोनों की तीक्ष्णता अपेक्षित है अथवा नहीं।

(3) "एस" मानक को छोड़कर दैनन्दिन अथवा बैठकर की जाने वाली ड्यूटी के लिए स्वस्थ लेकिन अधिक ऊंचाई (2,700 मीटर से अधिक) अत्यधिक ठंडे या पहाड़ी क्षेत्रों में और लंबे कार्य के लिए असमर्थता हो सकती है।

(4) अस्पताल में भर्ती होने या बीमारी के कारण छुट्टी के कारण अस्थायी रूप से अस्वस्थ।

(5) ड्यूटी के लिए स्थायी रूप से अस्वस्थ।

11. तकनीकी कार्मिकों की नियुक्ति :- इन नियमों के संदर्भ में, ऐसे व्यवसाय के सिवाय, जिसे विनिर्दिष्ट रूप से तकनीकी घोषित किया जाता है और जो पृथक नियमों के अधीन शासित होता है, सभी व्यवसाय साधारण ड्यूटी काडर के अधीन आएंगे। ऐसा व्यक्ति, जिसके पास महानिदेशक द्वारा ऐसे किसी व्यवसाय के लिए विहित की गई अपेक्षित अर्हता या अनुभव हैं, उस व्यवसाय के कर्तव्यों का पालन करने के लिए रखा जाएगा।

12. सेवा का दायित्व :- इन नियमों के अधीन किसी श्रेणी के पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति भारत में या विदेश में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

13. निरर्हताएं :- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :